522
1/4/16

Du-1-58-2016 प्रथमा-वि

संख्या 461 पी/छः–पु0–6–2015–500(19)/2014 टीसी

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल, 2015

विषय :–पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह् प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1827 पी/छः–पु–6–14–500(19)/14 टीसी, दिनांक 23–2–2015 के प्रस्तर–4 के बिन्दु संख्या–'ए' को विलोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या डीजी–चार–122(03)/2014, दिनांक 19–3–2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह् प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1827 पी/छः–पु–6–14–500(19)/14 टीसी, दिनांक 23–2–2015 के प्रस्तर–4 के बिन्दु संख्या–'ए' को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह् प्रदान किये जाने में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त् कार्यालय ज्ञाप संख्या 1827 पी/छः–पु–6–14–500(19)/14 टीसी, दिनांक 23–2–2015 के प्रस्तर–4 **सत्यनिष्ठा प्रमाणित एवं दण्डरहित सेवा होने संबंधी अनिवार्यता** के **बिन्दु–'ए'** को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उपरोक्त सीमा तक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1827 पी/छः–पु–6–14–500(19)/14 टीसी, दिनांक 23–2–2015 संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

4665

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0
2– पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0
3– पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0
4– पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0
5– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0
6– अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0
7– अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0
8– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0
9– गार्ड फाईल।

SE.I

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
उत्तर प्रदेश
10.4.15

A.V
20/4/15

आज्ञा से,

(के0 एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

BL DRAFT p

1620

अति आवश्यक/तत्काल/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

पत्र सं0:डीजी-चार-122(03)2014 दिनांक:लखनऊ:मार्च 3, 2015

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्क्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या:डीजी-चार-122(03)2014 दिनांक 02-03-2015 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जो अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह् (Commendation Disc) दिए जाने के सम्बन्ध में है ।

2- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि चूँकि वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशंसा चिन्ह का आवंटन नहीं हो सका है, अत: इस वर्ष 2015 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये जाने वाले प्रशंसा चिन्ह का आवंटन इस माह की 20 तारीख से 25 तारीख के बीच किया जायेगा । अत: आप सभी इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 02-03-2015 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन प्रत्येक दशा में दिनांक 12-03-2015 तक भिजवाना सुनिश्चत करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

3- यदि उक्त सम्बन्ध में कोई नामांकन समय से प्रेषित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्यालय/विभाग में कोई कर्मचारी इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

IG (R)/A
III
AIOD UP
18/3/15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1- पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

1619

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

पत्र सं0:डीजी-चार-122(03)2014 दिनांक:लखनऊ:मार्च 2, 2015

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्क्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

केन्द्रीय बलों एवं कतिपय अन्य राज्यों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले प्रशंसा चिन्ह्(Commendation Disc)की भॉति उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या:1827पी/छ:-पु0-6-14-500(19)2014टीसी दिनॉक 23.02.2015 द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय एवं असाधारण कार्य हेतु पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह् प्रदान कर प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपरोक्त शासनादेश दिनॉकित 23.02.2015 के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किये जाने हेतु निम्न प्रकार नीति निर्धारित की जाती है:-

1-पुलिस महानिदेशक का प्रशसा चिन्ह् सेवारत पुलिस कर्मियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम एक बार प्रदान किया जायेगा।

IG (K)/(A)/III

2-यह प्रशसा चिन्ह्(Commendation Disc) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों (स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अधिकतम 100 एवं गणतन्त्र दिवस के अवसर पर अधिकतम 100) को प्रदान किये जायेंगे ।

A10DUP
12/3/15

2ए-किसी विशेष परिस्थिति में उल्लेखनीय तथा असाधारण एवं प्रशंसनीय कार्य (यथा अदम्य शौर्य/साहसिक कार्य/इनामी या अपराधिक मामलों में वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी) हेतु वर्ष में कभी भी पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह् (Commendation Disc)प्रदान किया जा सकता है। किन्तु वर्ष में कुल संख्या:200 से अधिक नही होगी।

3- उल्लेखनीय/असाधारण उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य की श्रेणी निम्नवत होंगी:-

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
उत्तर प्रदेश

1-कुशलतापूर्वक किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु ।
2-अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौपे गये विशेष कर्तब्यों (चुनाव डियूटी तथा प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य आदि में असाधारण योगदान/कार्य हेतु) ।
3-पुलिस बल के किया-कलापों के सुधार में नवीन व उल्लेखनीय कार्य हेतु ।
4-सनसनीखेज जटिल घटनाओं/अपराधों के अनावरण आदि में उत्कृष्ट कार्य हेतु ।

5-विगत 20 वर्षो की परिवहन शाखा की सेवा में दुर्घटना रहित वाहन चलाने हेतु ।
6-ऐसे पुलिस कर्मी जिसने नौ सप्ताह या उससे अधिक व्यवसायिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और इस प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो ।
7-पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया हो।

4- सत्यनिष्ठा प्रमाणित एवं दण्डरहित सेवा होने संबंधी अनिवार्यता

(A)नामित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विगत 20 वर्ष की दण्ड़रहित सेवा हो।

(B)नामित कर्मी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित रही हो एवं किसी प्रकार की विभागीय/न्यायिक अथवा अन्य किसी जॉच एजेंसी/आयोग स्तर पर कोई जॉच कार्यवाही लम्बित प्रचलित न हो।
(C)सतर्कता विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो ।

5- प्रशंसा चिन्ह् (Commendation Disc) बायें जेब की बटन के ऊपर धारण किया जायेगा। यह चॉदी कलर का स्टील धातु (निकिल प्लेटिंग) 10 ग्राम वजनी एवं अण्ड़ाकार में होगा। यदि प्रशंसा चिन्ह् धारक द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो राष्ट्रहित में न हो यह जिससे विभाग की गरिमा धूमिल हो या किसी अपराधिक मामले में सजायाफ्ता हो या सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो आदि, तो आवश्यक ऑकलन के उपरान्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशंसा चिन्ह् वापस कर लिया जायेगा।

6- प्रशंसा चिन्ह् (Commendation Disc) हेतु कर्मियों के चयन की कार्यवाही वर्ष में दो बार की जायेगी। इस हेतु संस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार प्रस्ताव/नामॉकन प्रत्येक वर्ष के 30 जून एवं 30 नवम्बर तक अपने जोन्स्/विभागाध्यक्ष को भेजना सुनिश्चित करेंगे । जोन्स्/विभागाध्यक्ष प्राप्त नामॉकनों/साईटेशनों का परीक्षण कर निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने पर अपने संस्तुति/ टिप्पणी के साथ MS Excel Worksheet के कृष्णा फान्ट में संलग्न प्रारूप के अनुसार संकलित कर दिनॉक 15 जुलाई/ 15 दिसम्बर तक यथास्थिति आई0पी0एस0 अधिकारियों के पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) उ0प्र0 लखनऊ को, पी0पी0एस0 अधिकारियों के पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ को एवं शेष सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेंगे ।

7- पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 प्राप्त साईटेशन/नामॉकनों का मुख्यालय में नियुक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से परीक्षण कराकर निर्धारित फार्मेट में पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 को समय से उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक

(कार्मिक) एवं पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), आई0पी0एस0 अधिकारियों एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों के नामांकनों का परीक्षण कराकर उन्हें निर्धारित फार्मेट में पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) को उपलब्ध करायेंगे । पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 समय से प्राधिकृत समिति की गोष्ठी आहूत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं लिये गये निर्णय/संस्तुतियाँ पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे । तद्नुसार प्रशंसा चिन्ह(Commendation Disc) हेतु चयनित अधिकारियों/ कर्मचारियों को गणतन्त्र/ स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर उन्हें उनके नियुक्ति जनपद/इकाई में सम्मानित किया जायेगा ।

8- ऐसे प्रशंसा चिन्ह् (Commendation Disc) प्रदान किये जाने वाले कार्मिकों का एक स्थायी रजिस्टर पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना), उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में रखा जायेगा। इसके साथ निर्धारित प्रशंसा चिन्ह् बनवाये जाने व प्रशस्ति-पत्र के मुदृण हेतु इनके प्रारूप का अनुमोदन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्राप्त कर बनवाये/छपवाये जाने के साथ-साथ वितरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

9- प्रशंसा चिन्ह् पर होने वाला व्यय लेखाशीर्षक 42-अन्य व्यय से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये गये बजट से वहन किया जायेगा।

10- इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चत किया जाए कि सभी पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने इस पत्र के प्रस्तर-2(ए) के अनुरूप उल्लेखनीय, असाधारण एवं प्रशंसनीय कार्य किया हो जो अदम्य शौर्य एवं साहसिक प्रकृत्ति का हो, उन सभी का नामांकन अवश्य प्रेषित किया जाए । इसके अतिरिक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यो का आंकलन कर पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन मुख्यालय भेजे जाएं ताकि एक सुनिश्चित प्रकिया के तहत केवल उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ही प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया जा सके ।

संलग्नक:<u>शासनादेश की प्रति/प्रारूप</u>

2.3.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को शासन के पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही/अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रेषित है।

गणतन्त्र/स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर पुलिस बल के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को उल्लेखनीय/असाधारण उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य पुलिस महानिदेशक,प्रशंसा चिन्ह प्रदान किये जाने सम्बन्धी विवरणः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति	फील्ड / आफिस	परिक्षेत्र/इकाई का नाम	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	दिनांक 15.08.		विगत 10 वर्ष के सेवाओं का वार्षिक मन्तव्य -										दण्ड का प्रकार/सत्यनिष्ठा रोके	अभ्युक्ति/टिप्पणी/संल
								वर्ष	माह	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

797

1

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–6
संख्या 1827 पी/छः–पु0–6–14–500(19)/2014 टीसी
लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पुलिस विभाग की समस्त ईकाइयों, अग्निशमन सेवा तथा पी0ए0सी0 के अराजपत्रित/राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए "पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह" (Director General of Police Commendation Disc) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड होगें :–

1– "पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह" सेवारत पुलिस कर्मियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम एक बार प्रदान किया जायेगा।

2–(ए) यह प्रशंसा चिन्ह प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों (स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकतम 100 एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर अधिकतम 100) को प्रदान किये जायेंगे।

(बी) किसी विशेष परिस्थिति में उल्लेखनीय तथा असाधारण एवं प्रशंसनीय कार्य हेतु वर्ष में कभी भी पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) प्रदान किया जा सकता है किन्तु वर्ष में कुल संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।

3– उल्लेखनीय/असाधारण उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य की श्रेणी निम्नवत् होंगी :–

1) कुशलतापूर्वक किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु।
2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपे गये विशेष कर्तव्यों, चुनाव ड्यूटी तथा प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य आदि में असाधारण योगदान/कार्य हेतु।
3) पुलिस बल के किया–कलापों के सुधार में नवीन व उल्लेखनीय कार्य हेतु।
4) सनसनीखेज जटिल घटनाओं/अपराधों के अनावरण आदि में उत्कृष्ट कार्य हेतु।
5) विगत 20 वर्षों की परिवहन शाखा की सेवा में दुर्घटना रहित वाहन चालन हेतु।
6) ऐसे पुलिस कर्मी जिसने नौ सप्ताह या उससे अधिक व्यवसायिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और इस प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।
7) पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया हो।

IG(E)

अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)
उ.प्र., लखनऊ
25/2/2015

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उत्तर प्रदेश

4– **<u>सत्यनिष्ठा प्रमाणित एवं दण्ड़रहित सेवा होने संबंधी अनिवार्यता</u>** :–

(ए) नामित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विगत 20 वर्ष की दण्डरहित सेवा हो।

(बी) नामित कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित रही हो एवं किसी प्रकार की विभागीय/न्यायिक अथवा अन्य किसी जांच एजेन्सी/आयोग स्तर पर कोई जांच/कार्यवाही लम्बित/प्रचलित न हो।

(सी) सतर्कता विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो।

5– **<u>प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) धारण करने का नियम</u>** :–

प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) बायें जेब के बटन के ऊपर धारण किया जायेगा। प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) चांदी कलर का स्टील धातु (निकिल प्लेटिंग) 10 ग्राम वजनी एवं अण्डाकार में होगा, जिसका आकार निम्न प्रकार होगा :–

6– **<u>प्रशंसा चिन्ह का निरसन</u>** :– प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) धारक द्वारा यदि कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो राष्ट्रहित में न हो या जिससे विभाग की गरिमा धूमिल हो या किसी अपराधिक मामले में सजायाफ्ता हो या सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो आदि, तो आवश्यक आंकलन के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) वापस कर लिया जायेगा।

7– **<u>व्यय</u>** :– प्रशंसा चिन्ह पर होने वाला व्यय लेखाशीर्षक 42–अन्य व्यय से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये गये बजट से वहन किया जायेगा।

8– **<u>प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) प्रदान किये जाने की प्रकिया</u>** :–

इस हेतु जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं विभिन्न इकाईयों के विभागाध्यक्षों द्वारा नामांकन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे। प्राप्त नामांकनों पर निम्न प्रकार गठित समिति द्वारा गहन परीक्षणोपरान्त अपनी आख्या/संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी :–

(1)	अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0	सदस्य
(2)	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0	सदस्य
(3)	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0	सदस्य
(4)	पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0	सदस्य
(5)	पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0	सदस्य–संयोजक

उपर्युक्त कमांक–1, 2, 3 पर उल्लिखित अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

9– इसके संबंध में विस्तृत विभागीय आदेश पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जारी किये जायेंगे।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
2– पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0
3– पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0
4– पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0
5– पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0
6– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0
7– अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0
8– अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0
9– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0 एल0 वर्मा)
अनु सचिव।